न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 31 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भला खां पुत्र सुंईया खां
2. मु0 साहबी बैवा सुंईया खां फौत के कायम मुकामः–
   2/1 भला खां पुत्र सुंईया खां जाति मुसलमान निवासी देताणी तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.उम्मेदा पुत्र हमीर
2.वायदान पुत्र शखर
3.रोशनदीन पुत्र शखर
4.करीम पुत्र शखर
5.नसरूदीन पुत्र शखर
6.मुरीद पुत्र शखर
7.मु0 साहबा बेवा शखर
8.इस्लाम पुत्र अलू
9.इमाम पत्नी हाजी उम्मेदा
10.भाग पत्नी नसरूदीन
11.हकीमा पत्नी करीम जाति मुसलमान निवासी देताणी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।
12.जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा गडरारोड़।
13.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2014 बअनवान भला वगैरा बनाम उम्मेदा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 17.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने हिस्से के खेत खसरा संख्या 2310 व 2409 संयुक्त रकबा 229.09 बीघा में वादीगण का खातेदारी खेत 1/4 हिस्सा होना घोषित किया जाकर बाई मीटस एण्ड काउण्ड विभाजित किया जावे। अपीलांट द्वारा कभी भी केम्प राणासर में वास्ते वाद का निस्तारण करने के लिए कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया। बिना प्रार्थना–पत्र के एवं बिना निर्धारण व निर्णय किये पारित आदेश 09 नियम 07 के सम्बंध मं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया। बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के सीधा ही मामले को निर्णित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं कानून द्वारा स्थापित सिद्धांतों की घोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अवहेलना कर डिक्री पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा कभी भी केम्प राणासर में वास्ते वाद को निस्तारण करने के लिए कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया। बिना प्रार्थना–पत्र के एवं बिना निर्धारण व निर्णय किये पारित आदेश 09 नियम 07 के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया। बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के सीधा ही मामले को निर्णित कर दिया गया है।यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं कानून द्वारा स्थापित सिद्धांतों की घोर अवहेलना कर डिक्री पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी। उक्त समस्त कार्यवाही एकपक्षीय होने से इसे पूर्व में ज्ञान नहीं था तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब स्वाभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा पेश अपील मियाद बाहर है। तथा अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि आलोच्य निर्णय लोक अदालत केम्प राणसर में दिनांक 02.06.2015 को हुआ है। उस रोज वादीगण/अपीलांटगण की उपस्थिति दर्शाई गई है जबकि उसके उपस्थिति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानात नहीं है। निर्णय में लोक अदालत की भावना से सुलह हेतु समझाईश की जानी एवं समझाईश के आधार पर उभयपक्ष समस्त पक्षकारान का राजीनामा प्रसतुत होने का उल्लेख है परन्तु पत्रावली में एक सादे कागज पर लिखा राजीनामा अवश्य है पर उसपर अपीलांटगण के हस्ताक्षर नहीं है।इस दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2014 बअनवान भला वगैरा बनाम उम्मेदा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मीटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।

(सत्यनारायण बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner